

फार्म नं. 3

APP-A

Crim-1

## फर्ट अहकाम

जिला कलक्टर, बाड़मेर

(नियम 26)

बाड़मेर

अज अदालत

अपीलार्थी-श्री राम किशोर खाती पुत्र श्री सीता राम

मुकाम

उत्तरदाता- अतिरिक्त जिला

खाती

बनाम

कलक्टर, बाड़मेर

किस्म मुकदमा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

71/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.09.2021	<p>अपीलार्थी श्री राम किशोर खाती पुत्र श्री सीता राम खाती निवासी 36, गायत्री नगर 2 फ्लोर नियर राहुल पब्लिक स्कूल, चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने टोंक रोड सांगानेर, जयपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 07.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 02.08.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण की निर्धारित अवधि 30 दिवस से पूर्व प्रस्तुत की गई है जो प्री-मैच्योर है। अपीलार्थी ने ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में राज्य लोक सूचना अधिकारी की ओर से सूचना दस्तावेजों की निर्धारित शुल्क जमा कराने के डिमाण्ड का ऑनलाईन पेमेंट गेटवे नहीं उपलब्ध कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है जबकि आरटीआई के पोर्टल पर यह पेमेंट गेटवे प्रदर्शित हो रहा है जिसका उपयोग कर प्रार्थी शुल्क अदा कर सकता है। फलतः यह अपील प्री-मैच्योर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>अतः अपीलांत की यह अपील सारहीन एवं प्री-मैच्योर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	

Kan  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

